

फाइल डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6-7 जाबा दीवानी)

74

अदालत मुकाम उपरकंड अधिकारी शेजमीम
 नालास पीठासीन अधिकारी जगदीश आर्य R.A.S.
उन्वान

पुत्र सुन्दर
नी पुत्री सुन्दर

ⓐ तहसीलदार शेजमीम

य पुत्र चमो पानिधर्म
शेजर निवासी
खेडा तहसील - शेजमीम

बनाम

इरुली घोषणा खातेदारी

मुकदमा नं० 191 सन् 2013

ह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबई श्री राम भरोसी गुप्ता AN व हाजिरी

मिनकानिब गुदई रुबस हमोरे

मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है। व डिक्री दी जाती है कि

बाबा वादीगठा बाबत इजाजत इरुली डिक्री किया
जाकर ग्राम (खेडा) की जमाबन्दी 2067-70
में अंकित ख. नं 67/8/8 के स्थान पर 689/8/8
दर्ज करके आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार
शेजमीम को पालना के लिए लिखा जाके।

मुबलिंग बाबत खर्चा इस मुकदमे के मय
 रह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक
का अदा करे।

हस्तखत मुहर अदालत के आज तारीख 22 माह 6 सन् 2015



दस्तखत उप निवा कलक्टर
 ओहदा शेजमीम (करौली)

मुदायला	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	/	/	स्टाम्प अर्जी	/	/
महन्ताना वकील			स्टाम्प अर्जी		
खर्चा गवाहान			महन्ताना वकील		
फीस कमिशनर			खर्चा गवाहान		
बाबत इजराय हुक्मनामा			फीस कमिशनर		
मुतफरिक			बाबत इजराय हुक्मनामा		
			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखया गया हो या नहीं दर्ज कराना चाहिए।